

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांस्पोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून।**

टैन्डर प्रपत्र— लाइब्रेरी कार पार्किंग मसूरी के ठेके हेतु।  
ठेके की अवधि— दिनांक 26.08.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक

1— निविदादाता का नाम :—

2— निविदादाता के पिता का नाम :—

3— (क) पत्राचार का पता :—

(ख) स्थाई पता

(ग) दूरभाष नं० :—

4— प्राधिकरण द्वारा निर्धारित / संसूचित न्यूनतम धनराशि रु०—25,25,000/-

5— धरोहर धनराशि का विवरण :—रु०—2,52,500/-

मै/हम एतद्वारा घोषित करता/करते हैं कि उपरोक्त टैन्डर में प्रस्तावित धनराशि उच्चतम होने के आधार पर यदि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की जाती है तो मुझे प्राधिकरण की समर्त शर्तें/नियम स्वीकार होंगे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मेरी जमा धरोहर राशि के रूप में एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०जब्त कर ली जाय।

हस्ताक्षर एवं नाम

सलंगनक— 1.

2.

3. ठेके से सम्बन्धित शर्त टैन्डर फार्म के साथ सलंगन रखयं हस्ताक्षरित

नोट:—निविदादाता को टैन्डर प्रपत्र के साथ अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी०एस०टी०एन० नम्बर /आवेदन की प्रति (पूर्ण पता सहित) तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र पमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकरण की परिसम्पत्ति लाईब्रेरी कार पार्किंग मसूरी को दिनांक 26.08.2019 से दिनांक 31-3-2021 तक के लिए ठेके पर दिये जाने हेतु शर्त निम्न प्रकार होगी ।

- 1— धरोहर राशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कि सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक होगी । टेण्डर के साथ लगाना अनिवार्य होगा ।
- 2— ठेका दिनांक 26-08-2019 से दिनांक- 31-03-2021 तक के लिए दिया जायेगा ।
- 3— प्राधिकरण द्वारा उक्त ठेके की न्यूनतम निर्धारित धनराशि रु0-25,25,000/- निर्धारित है जिस पर धरोहर राशि के रूप में रु0-2,52,500/-की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 दिनांक 31.03.2021 तक वैध हो को सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखते हुए जमा करानी होगी । धरोहर राशि किसी भी रूप में नगद खीकार नहीं होगी ।
- 4— विगत वर्षों के बकायेदार टेण्डर में भाग लेने के पात्र नहीं होगें ।
- 5— ठेके की धनराशि निम्न प्रकार से जमा करनी होगी ।

दिनांक 26.08.2019 तक 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी, साथ ही ठेकेदार को खीकृत ठेके की धनराशि का 2 प्रतिशत रुपय शुल्क/पंजीकृत अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा । इसके साथ ही 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 01, फरवरी से 05, फरवरी 2020 तक तथा 25 प्रतिशत धनराशि 01, जुन से 05, जून 2020 तथा अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि 01, दिसम्बर से 05, दिसम्बर 2021 से तक जमा करानी होगी, यदि टेण्डरदाता द्वारा वांछित धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करायी जाती है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए प्राधिकरण को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति भी करनी होगी । द्वितीय उच्च टेण्डरदाता के पक्ष में टेण्डर खीकृति के सम्बन्ध में नेगोसियेशन एवं गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा । किस्तों में धनराशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र खीकार नहीं किया जायेगा ।

- 6— यदि ठेकेदार 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त अग्रिम देय धनराशि को निर्धारित तिथि में धनराशि जमा नहीं कराता है, तो अगली देय तिथि से पूर्व में ब्याज सहित जमा करानी होगी । अन्यथा की स्थिति में टेण्डर को निरस्त करते हुए बकाया भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा ।
- 7— जैसा है जहाँ है के आधार पर टेण्डर किया जा रहा है ।
- 8— पार्किंग ठेकेदार पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार से वसूल करेंगे ।
  - (क) दुपहिया वाहन रु0-20.00 प्रति वाहन समय 4 घण्टे ।
  - (ख) कार जीप अथवा हल्का वाहन रु0-75.00 वाहन समय 4 घण्टे ।
  - (ग) नाईट हाल्ट की स्थिति में रु0 150/- प्रति वाहन ।
  - (घ) बस ट्रक व भारी वाहन रु0 200/- प्रति वाहन ।
- 9— पार्किंग रथलों में लगी सामग्रीयां/उपकरणों की देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेका अवधि तक रथल ठेकेदार की होगी ।
- 10— पार्किंग के अतिरिक्त रथल का अन्य प्रयोग वर्जित होगा ।
- 11— पार्किंग रथल की सफाई व्यवस्था ठेकेदार द्वारा संवंय करानी होगी, इस सम्बन्ध में यदि कोई भी कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित पार्किंग ठेकेदार पर अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जो रु0 500.00 प्रतिदिन तक हो सकता है ।
- 12— पार्किंग संचालन कर रहे कर्मचारियों की यूनिफार्म के साथ आई कार्ड भी रखना होगा । पार्किंग रथल पर सी.सी.कैमरा, लाईट, बूम बैरियर लगाना होगा तथा वे पार्किंग भी करायेगा ।

- 13— पार्किंग केवल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्मित रथल पर ही करायी जायेगी ।
- 14—प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों/शासकीय/जिला प्रशासन के सरकारी वाहन निःशुल्क पार्क होंगे। इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित पार्किंग ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा अथवा निरस्त भी किया जा सकता है।
- 15— यदि किसी भी कारण से ठेकेदार के कार्य पर आय प्रभावित होती है तो वह स्वीकृत धनराशि को कम कराने का अधिकारी नहीं होगा ।
- 16— भविष्य में ठेकेदार व प्राधिकरण के मध्य प्रत्येक विवाद का समाधान मध्यस्थता के आधार पर होगा । इस प्रकार भविष्य में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी मध्यरथ की नियुक्ति ठेकेदार एवं प्राधिकरण दोनों को मान्य होगी ।
- 17— यदि पार्किंग के सम्बन्ध में कोई भी वाद-विवाद होने पर वाद योजित किया जाता है तो केवल देहरादून न्यायालय में मान्य होगा ।
- 18— ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा ।
- 19— पूर्व में कोई भी ठेकेदार प्राधिकरण का डिफाल्टर रहा हो तो वर्तमान ठेकों में टेण्डर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
- 20— यदि ठेके की अवधि में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई भी कर आदि लगाया जाता है तो उसको अदा करने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार पर ही होगा ।
- 21— यदि ठेकेदार पर कोई भी धनराशि बकाया रह जाती है तो उसे भू-राजरव के बकाये की भाँति वसूला जायेगा ।
- 22— पार्किंग के पास सुझाव व शिकायत पेटी रखनी होगी, पार्किंग शुल्क का स्पष्ट बोर्ड तथा प्राधिकरण कार्यालय का टेलीफोन नं० बोर्ड पर अंकित होना चाहिए ।
- 23— फर्म/व्यक्ति को अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी०एस०टी०एन० नम्बर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
- 24— पार्किंग रथल पर सफाई व्यवरथा रखयं फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।
- 25— पार्किंग रथल पर तैनात कर्मियों के लिये ड्रेस निर्धारित करनी होगी ।
- 26— पार्किंग रथल पर तैनात कर्मियों द्वारा वाहन स्वामियों के दुर्घट्हार किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
- 27— विद्युत बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 28— स्वीकृत टेण्डर की धनराशि पर 2% निर्धारित टी०सी०एस० की देय धनराशि का भुगतान प्रथम 25% धनराशि के साथ ही ठेकेदार को जमा करानी होगी ।
- 29— प्राधिकरण द्वारा यदि उक्त पार्किंग रथल पर कोई योजना प्रस्तावित की जाती है, तो प्राधिकरण ठेका निरस्त करते हुए कब्जा वापस लेने हेतु स्वतंत्र होगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगा ।
- 30— टेण्डर स्वीकृति अथवा अरसीकृति एवं पार्किंग से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा ।

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx